

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



25 JUN 2023  
ONE HUNDRED RUPEES

भारतीय राज

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V.S. Affixed Rs 100 GM 866013

(प्रारूप-"अ")

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम लालजीत सिंह पुत्र स्व० राम चन्द्र सिंह एवं श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व० भवानीफेर सिंह क्रमशः प्रबन्धक एवं अध्यक्ष एस०एस० मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्राम व पोस्ट करीमपुर, रुदौली, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एस०एस० मेमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्राम व पोस्ट करीमपुर, रुदौली, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम करीमपुर, रुदौली, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 285 कुल रकबा 0.8160हे० भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा-4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 285 कुल रकबा 0.8160हे० भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.04.2020 द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

लालजीत सिंह

रुणविजय सिंह  
Witness Sn. (1) haljeet Singh / Ranvijay Singh  
Identified by Sn. Anwar Sidiq  
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME  
11/9/23

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संवाहन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

लाल जीत सिंह  
HO प्रबन्धक

रणविजय सिंह  
HO अध्यक्ष

Deposited At:  
Witnessed by Shri

Kaljeet Singh/Ranjay Singh  
Anand K. A. C.

SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

NOTARY  
11/9/23